झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री दीपक बिरूवा स0वि0स0 श्री चमरा लिण्डा स0वि0स0	राज्य सरकार की सेवा में प्रोन्नति हेतु 64% अनारक्षित रिक्तियों पर महाधिवक्ता के परामर्श एवं भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग द्वारा Roster Post based implementation of the supreme court Judgment in the case of shri. R.K. Sabharwal v/s state of Punjab के संदर्भ में निर्गत (G.I Dept of Post cir.l.r. N0- 14-02-2001-SCT. Dated 20.02.2002) स्पष्टीकरण के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति न देकर इनसे वरीयता में कनीय सामान्य जाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जा रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना सं0- 3163 से 3182, दिनांक- 25.09.2018 द्वारा अनुसूचित जाति के 35 वरीय सहायक अभियंता (वरीयता क्रमांक-860 से वरीयता क्रमांक- 887) को छोड़कर उनसे वरीयता में कनीय 20 सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दे दी गई है।	जल संसाधन एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		इस तरह की प्रोन्नति राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी दिया जा रहा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 4990, दिनांक- 05.07.2018 द्वारा प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के संबंध में सभी विभागों/प्राधिकारों को दिशा निर्देश देने के बावजूद प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजातियों के कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतएव सदन से माँग करते है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सेवा के आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को वरीयता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाय।	
02-	श्री केदार हजरा स0वि0स0 श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0	गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड ग्राम पंचायत चितरडीह में मध्य विद्यालय चितरडीह को वर्ष 2006-07 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था। लेकिन, आज तक इस विद्यालय का संचालन मध्य विद्यालय के कक्षाओं में ही चल रही है। इस विद्यालय के छात्र-एवं छात्राओं की संख्या 700 है परन्तु कक्षा भवन पर्याप्त नहीं रहने के कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस विद्यालय में कक्षा भवनों की आवश्यकता है। अतः सरकार से उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितरडीह में नये कक्षा भवन निर्माण कराने की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0	सुदूर के 45 गाँव नगर निगम, धनबाद में सम्मिलित किये गये है जहाँ खेती, कुआँ, तालाब जोड़िया एवं चेक-डैम अवस्थित है और इनमें कतिपय राजस्व गाँवों को निगम क्षेत्र से हटाने हेतु प्रशासनिक जाँच एवं जन सुनवाई का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। अतः सरकार से धनबाद नगर निगम से उक्त गाँवों को हटाने हेतु ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
04-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्री अमर कुमार बाउरी स0वि0स0 श्री नारायण दास स0वि0स0	"झारखण्ड सरकार अन्तर्गत विभिन्न विभागों में एकमुश्त भुगतान/संविदा के आधार पर कई वर्षो से कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं तथा इन्हें योजना-सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार संकल्प सं0- 12/ एस0- विविध (पत्रा0)-11/14-1965/वि0, राँची, दिनांक- 02.06.17 के आलोक में वेतन भुगतान किया जाता है। उक्त सभी कर्मी विभागान्तर्गत बिना स्वीकृत पद के ही लगभग पिछले 8 से 14 वर्षो से कार्य कर रहें हैं एवं हर वर्ष इन्हें विभाग में कार्य करने के लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त अवधि विस्तार दी जाती रही है जिससे परिलक्षित होता है कि इन सभी कर्मियों की विभाग में आवश्यकता है एवं सभी अपने कार्य में कुशल है। मंत्रिमंडल एवं विभागाध्यक्ष द्वारा पद सृजन करने हेतु दिये गये निदेश के उपरान्त भी आज तक इन कर्मियों के लिए पद स्वीकृत नहीं कराये गये हैं जिसके लिए विभाग जिम्मेवार है न कि कार्यरत कर्मी। इन कर्मियों द्वार कई वर्षो से विभाग में कार्य करने के उपरान्त अन्य कहीं भी नौकरी पाने की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। साथ ही उक्त कर्मियों के हर वर्ष अवधि विस्तार के समय वाह्य स्त्रोत पर डालने (जिससे इनके वेतन आधी हो जाएगी) एवं कार्य से हटाने का डर हमेशा बना रहता है जिससे सभी कर्मी हमेशा मानसिक तनाव में रहते है। अतः सदन के माध्यम से उक्त वर्णित समस्याओं के निदान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा योजना सह-वित्त
05	विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	गिरिडीह जिला में बगोदर सरिया अनुमंडल की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लेकिन, अभी तक यहाँ न्यायिक अनुमंडल की स्वीकृति नहीं हुई है।	विधि

01.	02.	03.	04.
		फलतः न्यायिक कार्यों व अन्य सुविधायें हेतु नागरिकों को परेशानी होती है। अतः अनुरोध है कि न्यायिक अनुमंडल की स्वीकृति देकर कोर्ट व उपकारा की स्थापना की जाय। इस ओर सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 19 मार्च, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2020-..12-12...../वि० स०, राँची, दिनांक-18/3/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/जल संसाधन विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/नगर विकास एवं आवास/योजना सह- वित्त विभाग एवं विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2020

(एस शिराज यजीद बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2020-..12-12...../वि० स०, राँची, दिनांक- 18/3/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/20

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

18/03/2020